राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 12/20

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

दायर दिनांकः–12.03.2020

1. बृजमोहन पुत्र किशना जाति ढोली नि0 लिचाणा तहसील नांवा, जिला नागौर

....वादी

बनाम

1. जीतमल पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल
2. भंवरी देवी पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल
3. मुन्नी देवी पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल
4. जीवराज पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल
5. विनोद पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल
6. मन्नी देवी पत्नि स्व0 मदन
7. संतोष पत्नि स्व0 मदन
8. अर्जुनलाल पुत्र स्व0 कन्हैयालाल
9. तुलछी देवी पुत्री स्व0 कन्हैयालाल
10. चन्दा देवी पुत्री स्व0 कन्हैयालाल
11. भैरू पुत्र स्व0 कन्हैयालाल
12. जगदम्बा पत्नि स्व0 कन्हैयालाल
    सर्वजाति ढ़ोली, सर्वनिवासी लिचाणा तहसील नांवा, जिला नागौर
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 रा0का0अधि0 1955

निर्णय

दिनांक 8.6..2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ख0न0 953 रकबा 3.7618 है0 भूमि ग्राम सिनोदिया पटवार हल्का सिनोदिया, भू–अ0नि0 क्षेत्र कोटड़ी तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत. 12 की पुस्तैनी आराजी है जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 स्व0 किशना के वंशज है। वादी के पिता किशना पुत्र चन्दाराम थे तथा चन्दाराम की मृत्यु वादी के पिता किशना के बाल्यकाल में हो जाने से स्व0 किशना व उसकी माता सोहनी देवी दोनों आईदान के पास रहने लग गये थे तथा स्व0 किशना का आईदान नाना लगता था तथा स्व0 किशना आईदान का दोहिता लगता था तथा वादी के नाना आईदान के एक मात्र पुत्री सोहनी देवी ही वारिस थी तथा वादी के पिता किशना व वादी की माता सोहनी देवी ही आईदान की सेवा सुश्रुषा करती थी तथा आईदान का दोहिता स्व0 किशना वाद में वर्णित आराजी को बाजोत करता था और काबिज होकर उपयोग, उपभोग करता था। आईदान की मृत्यु के पश्चात समस्त किया कर्म, दाह संस्कार वादी के पिता स्व0 किशना ने ही किये थे तथा आईदान ने वादी का पुत्रवत पालन पोषण किया था जिसके कारण गांव के व्यक्ति स्व0 किशना को आईदान की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही स्व0 किशना की माता सोहनी देवी की भी मृत्यु हो गयी जिसके कारण उक्त आराजीयात का एक मात्र मालिक व स्वामी स्व0 किशना ही रह गया था। वादी के पिता स्व0 किशना एक अनपढ़ ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति थे जिसके कारण जब आईदान क[illegible] वादी के पिता किशना के वास्तविक पिता चन्दाराम का नाम वाद में वर्णित आराजी [illegible]करके सहवन से स्व0 किशना के पिता का नाम गलत रूप से आईदान राज[illegible]आईदान स्व0 किशना का नाना लगता था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.02 12:18:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

वादी के पिता स्व0 किशना जो कि ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति थे जिनको यह जानकारी कभी नहीं हो पायी थी कि उसके उक्त राजस्व रिकार्ड में उसके पिता चन्दाराम का नाम दर्ज नहीं होकर उसके नाना स्व0 आईदान का नाम दर्ज है जिसके कारण वादी के पिता स्व0 किशना अपने उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती को सही नहीं करवा पाया था और स्व0 आईदान द्वारा छोड़ी गयी आराजीयात पर काविज काश्त होकर भूमि का उपयोग, उपभोग करता आया है जबकि ग्राम सिनोदिया में किशना पुत्र आईदान नाम का कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि किशना वादी के पिता थे और आईदान वादी के पिता स्व0 किशना के नाना लगते थे तथा वादी के पिता अपने नाना आईदान के पास पुत्रवत रहने के कारण वादी के पिता स्व0 किशना का आईदान को पिता दर्ज कर दिया गया। जबकि आईदान का स्व0 किशना दोहिता लगता था। वादी के पिता किशना की मृत्यु होने के पश्चात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 वादग्रस्त आराजी पर काविज काश्त है तथा वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 संयुक्त रूप से काविज काश्त होकर भूमि का उपयोग, उपभोग अपने हिस्से की भूमि की सार संभाल करता आया है। वादी एक ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व्यक्ति होने से उसकी छोड़ी गयी आराजीयात का नामांतरकरण नहीं खुलवा पाया और ना ही वादी को यह जानकारी थी कि वाद में वर्णित आराजी में वादी के पिता किशना के पिता का नाम आईदान गलत दर्ज कर रखा है और वादी के दादा चन्दाराम का नाम किशना के आगे पिता के रूप में दर्ज नहीं है। जब वर्तमान में वादी के उक्त आराजी को उन्नत व विकसित करने के लिए जमाबंदी व अन्य राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 16.04.2019 को प्राप्त की और उक्त आराजी का नामांतरकरण खोलने का निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने वादी को बताया कि वादी के पिता स्व0 किशना के पिता का नाम आईदान दर्ज किया हुआ है इसलिए तुम्हारे नाम नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता है। तब वादी को इस बात की जानकारी हुई कि वादी के पिता जो कि किशना थे उनके वास्तविक पिता चन्दाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज न होकर किशना के नाना आईदान का नाम दर्ज किया हुआ है जो कि स्व0 किशना के नाना लगते थे। उक्त राजस्व रिकार्ड में हुई सहवन से गलती की जानकारी होने पर वादी ने तहसीलदार रूपनगढ़ से वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर नामांतरकरण स्व0 किशना के कानूनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के नाम खोले जाने के लिए निवेदन दिनांक 03.10. 2019 को किया तो उन्होंने न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहा इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत् दुरूस्त कर घोषणा खातेदारी का पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 को जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 डाक से सूचना भिजवायी गयी। प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 8 लगायत 12 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित एवं जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 7 की मृत्यु होना जाहिर किया गया। प्रतिवादी संख्या 13 का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 13 (तहसीलदार. रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम सिनोदिया की वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबंदी वर्ष 2019 से स्थायी के खाता संख्या 34 में ख0न0 953 रकबा 3.7618 है0 किशना पुत्र आईदान जाति ढ़ोली हिस्सा सम्पूर्ण निवासी सिनोदिया खातेदार के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर [illegible] वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्व[illegible]कर ग्राम सिनोदिया के ख0न0 953 के खातेदार किशना पुत्र आईदान के स्थान पर किशना पुत्र [illegible] एवं किशना के वारिसान के नाम विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये जाते [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़–अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.02 12:18:49 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)

व इजलास–श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 12/20

1. बृजमोहन पुत्र किशना जाति ढोली नि0 लिचाणा तहसील नांवा, जिला नागौर

....वादी

बनाम

1. जीतमल पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल
2. भंवरी देवीं पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल
3. मुन्नी देवी पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल
4. जीवराज पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल
5. विनोद पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल
6. मन्नी देवी पत्नि स्व0 मदन
7. संतोष पत्नि स्व0 मदन
8. अर्जुनलाल पुत्र स्व0 कन्हैयालाल
9. तुलछी देवी पुत्री स्व0 कन्हैयालाल
10. चन्दा देवी पुत्री स्व0 कन्हैयालाल
11. भैरू पुत्र स्व0 कन्हैयालाल
12. जगदम्बा पत्नि स्व0 कन्हैयालाल

    सर्वजाति ढ़ोली, सर्वनिवासी लिचाणा तहसील नांवा, जिला नागौर
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 रा0का0अधि0 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस. व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दयलाह पेश होकर मूल वाद में डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सिनोदिया के ख0न0 953 के खातेदार किशना पुत्र आईदान के स्थान पर किशना पुत्र चन्द्रा दर्ज करने एवं किशना के वारिसान के नाम विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 08.06.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.02 12:18:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)